कार्यालय जिला कलक्टर अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— **45/2017 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री जमनालाल पिता ओंकारलाल शर्मा नि0 रासेड़, हाल बिहारी निकुंज, रामनगर शाहपुरा, जिला भीलवाडा **——अपीलार्थी**	**बनाम**	सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटड़ी **——प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी स्वयं अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 23/05/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटड़ी के विरूद्ध दिनांक 26/04/2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6 (1) के अन्तर्गत दिनांक 22.02.2017 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/—रूपये पोस्टल ऑर्डर संख्या 35एफ 673212 प्रस्तुत कर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटड़ी से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22.02.2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 02/05/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर पक्षकारान् को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटड़ी से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक/भू0अ0/2017/1047—48 दिनांक 09.05.2017 से अपना तथ्यात्मक प्रतिवेदन भिजवाते हुए यह अवगत कराया कि अपील मेमों की प्रति दिनांक 05.05.2017 को प्राप्त हुई। अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम में आवेदन दिनांक 22.02.2017 इस कार्यालय में प्राप्त ही नहीं हुआ है इसके सम्बन्ध में कार्यालय कार्मिकों की रिपोर्ट दिनांक 09.05.2017 प्राप्त की गई जिसकी प्रति जवाब के साथ संलग्न की गई है।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व अपील मेमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया ।

अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटड़ी को विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत आवेदन भिजवाया गया है उसमें अंकित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई क्योंकि उक्त आवेदन दिनांक 22.02.2017 प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटड़ी के कार्यालय में दिनांक 09.05.2017 तक प्राप्त नहीं हुआ जैसाकि प्रत्यर्थी के जवाब दिनांक 09.05.2017 के साथ संलग्न कार्मिकों की रिपोर्ट से सुस्पष्ट है। अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 22.02.2017 को आवेदन तहसील कार्यालय कोटड़ी में व्यक्तिशः प्रस्तुत किया या जरिये डाक रजिस्टर्ड ए0डी0 से भिजवाया उसकी प्राप्ति रसीद अपील मेमों के साथ संलग्न नही की है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटड़ी की रिपोर्ट उचित प्रतीत होती है। पटवारी हल्का रासेड़ को अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15.10.2013 को आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें लोक सूचना अधिकारी एवं पटवारी हल्का रासेड़ सम्बोधित किया है जो गलत है क्योंकि पटवारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं है तथा आपके द्वारा जो 10/– रूपये की नकल राशि पटवारी हल्का रासेड़ को देते हुए नक्शा ट्रेस की नकल चाही। उक्त आवेदन के आधार पर पटवारी हल्का रासेड़ ने नकल जारी की जो पी–35 में क्रम संख्या 69 पर दिनांक 15.10.2013 को दर्ज है जिस पर अपीलार्थी के नकल प्राप्ति के हस्ताक्षर है। इसी क्रम संख्या पर जमाबन्दी की नकल भी जारी की जिसे भी अपीलान्ट द्वारा हस्ताक्षर कर प्राप्त की। दिनांक 01.11.2013 से 20.11.2013 तक जारी नकलों से प्राप्त आय में से राशि चालान नम्बर 198 दिनांक 17.12.2013 से कुल 1023/– रूपये राजकोष में जमा कराए जिसकी पुष्टि प्रत्यर्थी के जवाब के साथ संलग्न चालान की फोटो प्रति से होती है। अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 22.02.2017 प्रत्यर्थी को प्राप्त नहीं हुआ ऐसी स्थिति में सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है। अतएव–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलार्थी का आवेदन प्रत्यर्थी को प्राप्त नहीं हुआ ऐसी स्थिति में सूचना उपलबध कराना संभव नहीं है। इस प्रकार अपील को कोई बल नहीं मिलने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटड़ी को प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 23/05/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा